(190)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक ———————/2018 पुनरीक्षण याचिका

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/01227

1. द्वारकाप्रसाद आयु 58 वर्ष
2. दशरथप्रसाद आयु 55 वर्ष

पुत्रगण श्री कामता प्रसाद, जाति ब्राहमण, व्यवसाय काश्तकारी, निवासीगण ग्राम लमन्या तहसील बासौदा जिला विदिशा मध्यप्रदेश

——***<u>आवेदकगण</u>***

बनाम

1. श्रीराम पुत्र श्री गनेशराम आयु 40 वर्ष,
2. सोनम पुत्री श्री गनेशराम शर्मा आयु 35 वर्ष
3. वर्षा पुत्री श्री गनेशराम आयु 32 वर्ष

निवासीगण हामिदपुर हाल मु0 सरूपनगर बेतोली तहसील बासोदा जिला विदिशा

——***<u>अनावेदकगण</u>***

<u>पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2017 के पश्चात की गयी समस्त कार्यवाही जो कि माननीय नायब तहसीलदार वृत उदयपुर के प्रकरण कमांक 45/अ-27/16-17 बउनमान श्रीराम बनाम द्वारका प्रसाद ग्राम लमन्या तहसील बासोदा जिला विदिशा में पारित किया गयी के विरूद्ध प्रस्तुत है।</u>

श्री HK अग्रवाल, अधि. 20/2/18

CF. 6/3/18

20/2/18

255 19/2/18 सुदामा राम शर्मा शपथ आयुक्त ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा ग्राम लमन्या पटवारी हल्का नं. 26 तहसील बासोदा स्थित आराजी कमांक 59 रकबा 2.331 हेक्टर, 60 रकबा 0.752 हेक्टर, 61 रकबा 0.669 हेक्टेयर, 66/1 रकबा 1.108 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.850 हेक्टेयर कुल लगान 19.81 रूपया मे अनावेदकगण का हिस्सा 1.617 हेक्टेयर है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1227

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एच.के. अग्रवाल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	